संख्या:49/2017/151/35-4-2017

प्रेषक,

जयप्रकाश भारती,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 08 मार्च,2017

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या:68/35-4-2013 दिनांक 21 जनवरी, 2013 के द्वारा 04 कार्यो की रू. 3965.21 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1982.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या:485/35-4-2014 दिनॉक 12 मार्च,2014 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 04 कार्यो में से 02 कार्यो की पूर्ण धनराशि एवं शासनादेश संख्या: 726/35-4-2014 दिनॉक 30 मई,2014 एवं शासनादेश संख्या: 775/35-4-2014 दिनॉक 17 जून,2014 द्वारा 02 कार्यों की द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या: 98/2015/340/35-4-2015 दिनॉक 16 मार्च,2015 द्वारा 04 कार्यों में से 03 कार्यों की रू. 8893.54 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। तदोपरान्त शासनादेश संख्या:214/2015/853/35-4-2015 दिनॉक 07 जुलाई,2015 द्वारा **मलिकपुर से तालग्राम मार्ग का चौड़ीकरण** कार्य हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू. 2199.94 लाख तथा शासनादेश संख्या:251/2015/998/35-4-2015 दिनॉक 10 अगस्त, 2015 द्वारा **रामाश्रम से जी.टी. रोड हिमालय कोल्ड के पास से सिलुआपुर होते हुये तालग्राम रोड का चौड़ीकरण** कार्य हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू. 1676.56 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। मुख्य अभियंता, (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र संख्या:263कैम्प/बी.जी./7बी.-3त्व0आ0वि0यो0/2016-17(त्व.मांग) दिनांक 20 दिसम्बर,2016 द्वारा 01 कार्य यथा- **मलिकपुर से तालग्राम मार्ग का चौड़ीकरण** एवं पत्र संख्या:5993बी.जी./7बी.-3त्व0आ0वि0यो0/2016-17 दिनांक 29 अगस्त,2016 द्वारा 01 कार्य यथा- **रामाश्रम से जी.टी. रोड हिमालय कोल्ड के पास से सिलुआपुर होते हुये तालग्राम रोड का चौड़ीकरण** से संबंधित कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार पूर्व में अवमुक्त धनराशि को

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में रू. 297.23 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तानवे लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	अनुमोदित पुनरीक्षित लागत	अवमुक्त धनराशि			अवमुक्त की जा रही धनराशि
				प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	
1	मलिकपुर से तालग्राम तक मार्ग का चौड़ीकरण	1187.47	3315.70	593.74	356.24	2199.94	153.07
2	रामाश्रम से जी.टी. रोड हिमालय कोल्ड के पास से सिलुआपुर होते हुये तालग्राम रोड का चौड़ीकरण	1147.80	2883.11	573.90	344.34	1676.56	144.16
	योग	**2335.27**	**6198.81**	**1167.64**	**700.58**	**3876.50**	**297.23**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 जनवरी,2013, 30 मई,2014 तथा 17 जून,2014, 16 मार्च,2015, 07 जुलाई,2015, एवं 10 अगस्त,2015 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3- इस शासनादेश से उक्त कार्यों हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयप्रकाश भारती)
अनुसचिव

संख्या:49/2017/151(1)/35-4-2017 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- जिलाधिकारी, कन्नौज।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से,

(जयप्रकाश भारती)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।